REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 1 | OCTOBER – 2017

निर्वाचन की प्रक्रिया की विचार मीमांसा

जितेन्द्र कुमार
शोधछात्र राजनीति विज्ञान विभाग ,इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद .

प्रस्तावना :

लोकतन्त्र का पर्याय ही होता है– जनता की सर्वोच्चता। यह वह शासन प्रणाली है जिसका गठन, संचालन व नियमन जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। एक प्रकार से जनता ही इस शासन तन्त्र की प्रहरी है।

'यथा राजा, तथा प्रजा' यदि हम इसी लोकोक्ति को थोड़ा बदलकर देखें तो यह भी उच्चरित किया जा सकता है– 'यथा प्रजा, तथा राजा'। इस उक्ति के माध्यम से लोकतन्त्र विषयक संरचनाओं के विषय में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उससे कहीं अधिक बातें अस्पष्ट रह जाती हैं व कई विकृतियाँ हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। यदि हम देखें तो हमें प्रतीत होगा कि लोकतन्त्र जिन संस्थाओं व प्रक्रियाओं के माध्यम से वास्तविक स्वरूप धारण करता है वे एक भूलभुलैया के समान हैं जिनके अधिकांश द्वार बन्द हों। प्रसिद्ध उत्तर आधुनिक दार्शनिक फूको के शब्दों मे ''लोकतन्त्र की चुनावी प्रक्रिया, 'वहाँ खिड़कियां खोलती है, जहाँ कभी दीवारें हुआ करती थीं। ''लोकतन्त्र की सभी संस्थाओं में सामान्य जनता का प्रवेश कठिन है विशेषतौर पर वहाँ जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक हो लेकिन चुनावी प्रक्रिया के रूप में लोकतन्त्र का सूत्र जनता के हाथों में निहित होता है। इसी कारण चुनावी प्रक्रिया का महत्व है। चुनावी प्रक्रिया की जटिलताओं से ही लोकतन्त्र के कब्र की जमीन तैयार होती है या फिर इसकी पताका के आकाश में लहराने हेतु आवश्यक उर्जा और जीवनी शक्ति का प्रवाह सुनिश्चित होता है।

लोकतन्त्र, चुनावों के माध्यम से ही जीवन्त अवस्था प्राप्त करता है। बिना चुनावों के वास्तविक लोकतन्त्र की स्थापना मृग–मरीचिका के तुल्य है। यदि आम जन मानस चुनाव में जोर–शोर से भागीदारी करता है एवं चुनावी प्रक्रिया में अपना विश्वास प्रकट करता है तो ये परिस्थितियाँ लोकतन्त्र की सफलता की परिचायक होती है। लेकिन यदि जनमानस का विश्वास चुनावी प्रक्रिया से उठ जाय तो लोकतान्त्रिक प्रणाली का होना, न होने के समान है क्योंकि लोगों का विश्वास और वैधता ही वह आधार मूल्य है जिसके आधार पर लोकतान्त्रिक प्रणाली कार्य करती है। विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण है जहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को लोगों के अविश्वास का सामना करना पड़ा और उन देशों में भीषण राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ किन्तु भारत में आजादी के पश्चात् अनवरत् रूप से लोगों का लोकतन्त्र एवं राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उत्साह एवं विश्वास बढ़ा है। हाल के लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत में वृद्धि इसकी पुष्टि करता है।

चुनावी प्रक्रिया में जन भागीदारी के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे तत्व है जिन्हें निरंतर पोषण की आवश्यकता है। यह तय है कि बिना किसी लोभ अथवा भय के खुलेपन, पारदर्शी, स्वैच्छिक भागीदारी, विचारों की स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के वातावरण में ही लोकतन्त्र पनप सकता हैं ऐसा वातावरण बने इसका उत्तरदायित्व देश की चुनावी प्रक्रिया के कंधों पर होती है। मीडिया, न्यायपालिका, प्रबुद्ध समाज और नौकरशाही–ये ऐसे समूह है जो कि न केवल लोकतन्त्र बल्कि उसकी आत्मा को भी अनुप्राणित करते हैं। लोकतन्त्र को कुछेक संस्थाओं एवं संरचनाओं के रूप में परिभाषित करना सर्वथा गलत होगा। वस्तुतः यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें जनता की आकांक्षाओं को परिलक्षित करने वाले विचारों और गतिविधियों के अनवरत निषेचन की आवश्यकता है। अपितु यह कहना गलत न होगा कि लोकतन्त्र एक अधूरी परियोजना है जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। लोकतन्त्र व चुनाव परस्पर जुड़े है व एक के अभाव में दूसरा निरर्थक नहीं तो गैर–प्रासंगिक अवश्य हो जाएगा।

लोकतन्त्र की दृढ़ता के व्यापक सन्दर्भ में, चुनाव सुधार इस परियोजना के मूल में है। ''चुनाव और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, धनबल की ताकत और तानाशाही एवं प्रशासन की अक्षमता जीवन को नर्क बना देगी।'' सी0 राजगोपालचारी जी का यह कथन चुनावी प्रक्रिया के शुचिता के महत्व की ओर इंगित करता है। जब चुनावों में भ्रष्टाचार, धनबल, बाहुबल एवं अन्य विकृतियों का जन्म होता है तब चुनाव में सुधार की बात आवश्यक हो जाती है यदि इन्ही सुधारों को सम्यक् रूप से लागू किया जाय एवं उनका पालन सुनिश्चित किया जाय तो जनमानस की आस्था राजनीतिक व्यवस्था के प्रति बढ़ायी जा सकती है।

भारत में चुनाव सुधारों की बात ब्रिटिश शासन काल से ही हो रही है। 1861,1909,1919 व 1935 के अधिनियमों में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई हालांकि उस समय भारतीयों की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जबकि आज भारत स्वतन्त्र है व चुनावों का आयोजन भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है, अतएव चुनावों व इसमें निहित विसंगतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।

निःसन्देह, आजादी के बाद के प्रारम्भिक दशकों में, भारत ने अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की हो किन्तु इसके साथ–साथ राजनीतिक प्रणाली की पवित्रता में भी लगातार गिरावट आयी है। चुनावों में धन और बाहुबल की भूमिका, भलीभांति स्वीकार्ययलोकतान्त्रिक मूल्यों और लोकाचार पर गंभीर दुष्प्रभाव डाल रही है और चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट बना रही है। तीव्रगति से हो रहा राजनीति का अपराधीकरण, बूथों पर कब्जे, धांधली, हिंसा आदि बुराइयों को बढ़ावा मिल रहा है। सरकारी मशीनरी अर्थात् सरकारी मीडिया और स्टॉफ का बढ़ता दुरुपयोग, अगंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी जैसी समस्याएं हमारी मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन चुकी है। इससे पहले कि व्यवस्था स्वयं समाप्त हो जाय, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

भारत में सरकार द्वारा कुछ प्रमुख चुनाव सुधार समितियों का गठन किया गया। जिन्होंने चुनाव सुधार के सन्दर्भ में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनमें से कुछ क्रियान्वित किए गए व बहुत को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी विभागों ने भी चुनाव सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

प्रमुख सरकारी समितियों और चुनाव सुधार पर एक दृष्टि–

क्रं0	समिति/रिपोर्ट	गठन का उद्देश्य	प्रमुख सुझाव
1.	दिनेश गोस्वामी समिति (1990)	चुनाव सुधार	–त्रिसदस्यीय चुनाव आयोग। –बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र। –आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए सांविधिक समर्थन।
2.	वोहरा समिति (1993) (इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई)	अपराध व राजनीति के साठगाँठ से सम्बन्धित रिपोर्ट	–गृह मंत्रालय के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी का सुझाव जो गुप्तचर व कानून– कियान्वयन एजेन्सियों के साथ मिलकर सूचनाएं एकत्रित करेगी।
3.	इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)	सरकारी खर्च पर चुनाव	–आंशिक सरकारी खर्च हेतु सुझाव
4.	निर्वाचन विधि के सुधार पर भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट (1999)	चुनाव और चुनाव–सुधार	–प्रत्याशियों की अर्हता की समाप्ति के सम्बन्ध में –छव्ज।ए इत्यादि।
5.	संविधान के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (2000–2002)	संविधान समीक्षा व सुधार	–दल–बदलने वाले सदस्यों की अर्हता तुरंत समाप्त हो। –मंत्रियों और समकक्ष पदों की संख्या सदन की संख्या के 10प्रतिशत से अधिक न हो।
6.	प्रस्तावित चुनाव सुधारों पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट (2004)	चुनाव सुधार	–दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर रोक । –छव्ज। –राजनीतिक दलों के खातों का लेखा व परीक्षण।
7.	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008)	प्रशासन से सम्बन्धित विभिन्न समस्यायों के सन्दर्भ में सुझाव देना।	–आंशिक सरकारी खर्च पर चुनाव। –दल बदल पर अर्हता के सन्दर्भ में सुझाव। –गम्भीर अपराध में सम्मिलित व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करना।

चुनाव सुधारों के सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा स्वयं एवं विभिन्न सुझावों के आधार पर कुछ प्रमुख सुधार किए गए हैं जिनका संक्षेप में उल्लेख निम्नवत् है–

- चुनाव आचार संहिता, 1971।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संशोधन द्वारा 1986 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मतदान हेतु उपयोग के लिए प्रावधान किया गया।
- 52वाँ संविधान संशोधन, 1985 दल बदल कानून (10 वीं अनुसूची)।
- 61 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 मतदान की उम्र सीमा घटा कर 21 से 18 वर्ष, 1989 में लागू।
- मतदाता फोटो पहचान पत्र, 1993।
- जन प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2010–प्रवासियों को मतदान करने का अधिकार।

- मतदाता प्राप्ति रसीद (VVPAT) चुनाव कराने संबधी नियम 1961 में संशोधन द्वारा (14 अगस्त, 2013) ।
- नकारात्मक वोट(NOTA)-2013 विधानसभा से प्रयुक्त। निर्वाचन नियम संहिता 1961 की धारा 49 (O)।

भारत में चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में विभिन्न गैरसरकारी संगठनों ने अपने मत प्रकट किए है जिनमें ADR एवं PUCL प्रमुख है। इन्होंने अनवरत् चुनाव सुधारों एवं लोकतन्त्र के सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अन्तर्गत लम्बा सफर तय किया है परन्तु चुनावों के दौरान जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है व उसके पश्चात् जिस प्रकार के प्रत्याशियों का चयन होता है यह लोकतन्त्र के स्वास्थ्य के लिए उत्तरोत्तर विषयुक्त होता जा रहा है। हम चुनाव सुधारों की दिशा में किए गए कुछेक उपबन्धों को लेकर अपनी पीठ थपथपा सकते हैं किन्तु अभी भी बहुत सी ऐसी समस्याएं बाकी हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। विविध समितियों एवं रिपोर्टों के प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। कई ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव सुधार प्रस्ताव दिए गए है। जिनका विश्लेषण व तत्पश्चात् क्रियान्वयन आवश्यक है। राजनीतिक दल व सरकार उन्हीं सुधारों को लागू करने में दिलचस्पी दिखाती है जहाँ उन्हें अपने ऊपर कोई आँच आती न दिखाई दे। गम्भीर आपराधिक षडयन्त्रों में सम्मिलित लोग, संसद व विधानसभाओं में पहुँच रहे हैं। आचार संहिता का धड़ल्ले से मज़ाक उड़ाया जा रहा है लेकिन इन सबके सन्दर्भ में कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में त्वरित निर्णयन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 दि सक्सेस ऑफ़ इंडियन डेमोक्रेसी : अतुल कोहली

2 पालिटिक्स ऑफ़ इलेक्शन रिफोर्म इन इंडिया : जे के चोपड़ा

3 इलेक्शन इन इण्डिया : आर पी भल्ला

4 रिलीजन, कास्ट एंड पालिटिक्स इन इण्डिया : क्रिस्टोफ जफरलोट

5 इलेक्ट्रोरल रिफार्म इन इण्डिया एंड हीड्स :अमनदीप कौर

6 इण्डिया एट द पोल्स – पार्लियाँमेंन्ट्री इलेक्शन इन द फेडरल फेज: एम् पी सिंह एंड रेखा सक्सेना

7 भारत में राजनीतिक प्रक्रियायें : सम्पादक – बी एन चौधरी

9 लोकतंत्र के सात अध्याय : सम्पादक – अभय कुमार दुबे